स्टार्टअप इंडिया और उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 : एक विश्लेषण

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर

राजकीय महिला महाविद्यालय

ढिंढुई,पट्टी, प्रतापगढ़

सारांश : स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। भारत सरकार की योजना से कदमताल करते हुए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी स्टार्टअप नीति लागू की है । शोध पत्र मे भारत के साथ उत्तर प्रदेश मे लागू नीति का विश्लेषण हैं । प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं ।

मुख्य शब्द : स्टार्टअप, बौद्धिक सम्पदा, इन्क्यूबेटरों द्वारा निवेश, सह-उद्यमी, हब एंड स्पोक मॉडल

स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित करने और इस आंदोलन के प्रसार में तेजी लाने की उम्मीद करती है। स्टार्टअप भारत के घटकों को निम्नावत समझा जा सकता हैं -

स्व-प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था - इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स पर नियामक का बोझ कम करना है ताकि वे अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अनुपालन की लागत कम रख सकें। नियामक व्यवस्थायें इस प्रकार और सरल एवं लचीली होंगी तथा निरीक्षण और अधिक सार्थक एवं सरल होगा।

स्टार्टअप इंडिया हब - पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान एवं वित्त पोषण हो सकें। सरकार मुख्य हितधारक होगी एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों, एंजेल नेटवर्क, बैंकों, इन्क्यूबेटरों, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी।

मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल का रॉल आउट - सरकार और नियामक संस्थानों के साथ स्टार्टअप्स के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में कार्य करेगा। 1 अप्रैल, 2016 से यह सभी प्रमुख मोबाइल / स्मार्ट डिवाइस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

कानूनी सहायता और कम दर पर पर तेजी से पेटेंट परीक्षण - बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने एवं नये स्टार्टअप्स के सतत विकास और तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना पेटेंट दाखिल करने के कार्य को आसान कर देगा।

स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के शिथिलीकृत मानदंड - इसका उद्देश्य अनुभवी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप्स के लिए समान अवसर प्रदान करना है। सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा जारी निविदाओं के मामले में गुणवत्ता मानकों में छूट के बिना स्टार्टअप्स को 'पूर्वानुभव/ टर्नओवर' के मानदंडों में छूट दी जाएगी।

स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी - यह कार्य योजना स्टार्टअप्स के लिए असफलता की स्थिति में संचालन को बंद करने में आसानी प्रदान करेगा। स्टार्टअप्स के लिए एक इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्रदान किया जाएगा जो छह महीने के समय में लेनदारों के भुगतान के लिए कंपनी की आस्तियों को बेचने का प्रभारी होगा। यह प्रक्रिया सीमित देयता की अवधारणा को स्वीकार करेगी।

स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था - सरकार प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये की एक प्रारंभिक निधि और 4 साल की अवधि में कुल 10,000 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना करेगी।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी - स्टार्टअप्स के लिए वेंचर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र / सिडबी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान अगले चार साल के लिए करने का विचार किया जा रहा है।

कैपिटल गेन पर कर में छूट - स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको कैपिटल गेन में छूट देगी जिनको वर्ष के दौरान पूंजीगत लाभ हुआ है और जिन्होंनें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में इस तरह के पूंजीगत लाभ का निवेश किया है ।

स्टार्टअप्स को तीन वर्ष के लिए टैक्स छूट - भारत में स्टार्टअप्स की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को संबोधित करने, विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रतियोगी मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के मुनाफे को 3 वर्ष की अवधि के लिए कर से मुक्त रखा जाएगा।

उचित बाजार मूल्य पर निवेश में टैक्स छूट - स्टार्टअप्स में इन्क्यूबेटरों द्वारा निवेश पर निवेश कर से मुक्त रखा जाएगा।

अभिनव नई खोज के प्रदर्शन एवं सहयोग मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप उत्सवों का आयोजन - भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार नें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप उत्सव शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह संभावित निवेशकों, परामर्शदाताओं और साथी स्टार्टअप्स को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक जन समुदाय के समक्ष उनके काम और विचारों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच होगा।

अटल अभिनव मिशन (एआईएम) का स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) प्रोग्राम के साथ लॉन्च - यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तर के नवाचार हब, भव्य चुनौतियां, स्टार्टअप कारोबार और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

इनक्यूबेटर सेटअप के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग - सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी में देश भर में इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिए एक नीति और ढांचे का निर्माण करेगा।

राष्ट्रीय संस्थानों में अभिनव केंद्रों की स्थापना - देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में वृद्धि के लिए सरकार राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता के 31 केन्द्रों की स्थापना करेगी। छात्रों द्वारा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 13 केन्द्रों को 50 लाख रुपये की वार्षिक वित्त सहायता 3 साल के लिए प्रदान की जायेगी।

आई आई टी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर 7 नये अनुसंधान पार्कों की स्थापना - शिक्षाविदों और उद्योग के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के माध्यम से सफल नवाचारों का विकास करने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये प्रति संस्थान के आरंभिक निवेश के साथ संस्थानों में 7 नए अनुसंधान पार्क की स्थापना करेगी। ये अनुसंधान पार्क आई आई टी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर होंगे।

जैव प्रौद्योगिकी सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना - भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक मजबूत विकास के पथ पर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2020 तक 2000 स्टार्टअप्स की स्थापना करने के लिए प्रति वर्ष करीब 300-500 नये स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रयासरत है।

छात्रों के लिए अभिनव केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत - सरकार युवा छात्रों के बीच अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी और इसके लिए कार्यक्रमों जैसे अभिनव कोर, निधि (एक भव्य चुनौती कार्यक्रम), उच्चतर आविष्कार योजना आदि की शुरुआत की है। शुरुआत में ये योजनायें केवल आईआईटी के लिए लागू होंगी और प्रत्येक परियोजना 5 करोड़ रुपये तक की हो सकती है।

वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज- इन्क्यूबेटर्स एक प्रभावी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स की पहचान करने और उन्हें अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार पहले चरण में विश्व स्तर के इन्क्यूबेटरों के निर्माण की दिशा में निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है। शुरुआती लक्ष्य ऐसे 10 इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। इसके लिए सरकार विश्व स्तरीय बनने के लायक 10 संभावित इन्क्यूबेटरों की पहचान करेगी। इनमें से प्रत्येक को वित्तीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और ये इस तरह के अन्य इन्क्यूबेटरों के लिए संदर्भ मॉडल बनेंगे। इसके बाद इनको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे इन्क्यूबेटरों की पहचान के लिए ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी और इसे वार्षिक रुप से जारी रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने इस 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है ताकि नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके । राज्य का यह कदम भारत के शीर्ष तीन-स्टार्टअप अनुकूलक राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। वर्तमान में प्रदेश में 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्धन एवं

आतंरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हुई है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है. इस नीति से 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सहित 1,50,000 रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे पहले 20 मई को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (एसडीबीआई) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा । राज्य सरकार द्वारा इस फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत की गई है। इस नीति की निम्न प्रमुख विशेषताए हैं -

• नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की तारीख से पांच साल तक के लिए लागू होगी. यह 10,000 से अधिक स्टार्टअप के निगमीकरण में भी मदद करेगी।

यह नीति एक सक्षम कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देगी और उत्कृष्टता का एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी।

• यह नीति लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेशन हब भी स्थापित करेगी।

• यह नई स्टार्टअप नीति चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, खादी, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एक समान महत्व देगी।

• यह नीति अतिरिक्त ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) और वित्तीय सहायता के साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उपक्रमों को विशेष बल प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत संचालित किया जा रहा था, जोकि मुख्य रूप से आईटी सेक्टर पर केंद्रित थी। चूंकि इस मौजूदा स्टार्टअप ढांचे ने अन्य क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों को पूरा नहीं किया, इसलिए राज्य सरकार पहले से ही इस मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक नीति बना रही थी। नई नीति का मसौदा तैयार करने वाले अधिकारी अन्य राज्यों की समान नीतियों का अध्ययन करते थे और विशेषज्ञों से सुझाव लेते थे ताकि वे उत्तर प्रदेश के लिए एक समग्र नीति की रूपरेखा तैयार कर सकें। लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों से 3.5 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार उनके कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रही है । इसका उद्देश्य इन प्रवासी श्रमिकों को ऐसी नौकरियां प्रदान करना है जो उनके वर्क-प्रोफाइल के अनुरूप हों और विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल सके । प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी, प्रदेश में कुल सौ इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। इन्क्यूबेटर्स को सब्सिडी के साथ संचालन के लिए आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नवरत्न इन्क्यूबेटर्स की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी खरीद में स्टार्ट-अप को वरीयता दी जाएगी। भरण-पोषण भता, पेटेंट फाइल करने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी और स्टार्ट अप फंड से उन्हें मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता विकास के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह नीति पांच वर्ष के लिए लागू की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति-2020 के तहत सात नए इन्क्यूबेटरों को आज मंजूरी दे दी है। ये इनक्यूबेटर स्टार्टअप के लिए पहले संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इससे जहॉ एक ओर राज्य के प्रशिक्षित नवयुवकों को सह-उद्यमी बनने में सहायता मिलेगी वही प्रदेश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। इस साल जुलाई में उद्घोषित की गई राज्य स्टार्टअप नीति में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाने तथा प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमोदित सात इन्क्यूबेटर्स, जिनमें अटल इनोवेशन सेंटर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, नैस्कॉम 10 हजार स्टार्टअप वेयरहाउस नोएडा, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा एवं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप नीति-2020 के तहत मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर स्टार्ट-अप को प्राथमिक सूचना प्रदान करने, स्टार्टअप को मार्गदर्शन और नई नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए अलग-अलग स्टार्टअप की सिफारिश करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे।

निष्कर्ष : यह कहा जा सकता हैं की स्टार्टअप नीति का सही तरीके से पालन युवाओं को रोजगार से जोड़ सकता हैं ,कोरोना के कारण बेरोजगार हुए युवा इसके उपयोग से पुनः अपना सुखद जीवन प्रारंभ कर सकते हैं । स्टार्ट अप नीति नए भारत का सपना हैं और स्टार्ट अप युवा समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हैं ।

सन्दर्भ :

1 https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-seven-new-incubators-approved-under-startup-policy-2020-in-uttar-pradesh-3672390.html

2 https://www.amarujala.com/lucknow/cabinet-approves-uttar-pradesh-start-up-policy-2020

3 https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-up-cabinet-decision-uttar-pradesh-separate-policy-for-startups-for-first-time-cabinet-approved-20489143.html

4 https://www.chronicleindia.in/hindi/current-affairs/1055-uttar-pradesh-startup-policy-2020

5 https://www.financialexpress.com/hindi/india-news/up-cm-yogi-adityanath-launched-the-uttar-pradesh-startup-fund-says-the-new-startup-policy-in-up-will-motivate-more-and-more-youths-to-launch-their-own-startups/1965469

6 https://www.india.gov.in/hi/spotlight

7 https://www.patrika.com/lucknow-news/yogi-cabinet-decisions-up-startup-policy-2020-approved-6255742/